

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 21/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

1. श्री संजय गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 2 ई 12
जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (विक्रेता एवं मालिक)
मैसर्स :- रामसुखदास ओमप्रकाश, 27, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर।

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II) खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 18.05.2022

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2021 को दोपहर बाद 01.00 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री संजय गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 2 ई 12 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर, मैसर्स रामसुखदास ओमप्रकाश, 27, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री संजय गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 2 ई 12 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर, कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में 500-500 ग्राम के 10 पैक डिब्बे लहसुन का आचार सरसों तेल से निर्मित विक्रय हेतु रखे थे। शुद्धता की जांच वास्ते उसमें से 04 पैक डिब्बे नमूने वास्ते लिये एवं विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और खरीद प्राप्ति रसी ली जो सलंगन है। तत्पश्चात 500-500 ग्राम मं. के 10 पैक डिब्बे लहसुन में से 04 पैक डिब्बे जांच हेतु लिए जिसके पेटे 400/-रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंगन है।



हरीतिमा
जी. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने 500-500 ग्राम मं. के 10 पैक डिब्बे लहसुन का आचार में से 04 पैक डिब्बे के नमूने लिये। जिसको मूल 4 पैक अलग-अलग भाग में प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के-1259 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के-1259 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण के-1259 लहसुन का आचार सरसों तेल से निर्मित लिखकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता संजीव कामरा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/486/एक्ट/2021/474 दिनांक 18.11.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना Sub-standard Food & Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री संजय गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 2 ई 12 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Lahsun ka Achar Prepared in Mustard Oil** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में समस्त खाद्य सामग्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बेचान करता है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की पालना करता रहा है। प्रार्थी की दुकान में मिठाई में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं पाई गई। प्रार्थी की दुकान पर सभी प्रकार की खाद्य सामग्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियम के अन्तर्गत ही रखा जाता है। श्रीमान जिला अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी की दुकान से आचार का सैम्पल लिया गया था उक्त आचार के सैम्पल में सभी मानकों की पूर्ति सही पाई गई किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस को खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Lahsun ka Achar Prepared in Mustard Oil** का सैम्पल के-1259 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/486/एक्ट/



(Handwritten Signature)
 अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
 श्रीगंगानगर

2021/474 दिनांक 18.11.2021 द्वारा Sub-standard Food & Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अनवानी प्रकरण श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में समस्त खाद्य सामग्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बेचान करता है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की पालना करता रहा है। प्रार्थी की दुकान में मिठाई में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं पाई गई। प्रार्थी की दुकान पर सभी प्रकार की खाद्य सामग्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियम के अन्तर्गत ही रखा जाता है। श्रीमान जिला अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी की दुकान से आचार का सैम्पल लिया गया था उक्त आचार के सैम्पल में सभी मानकों की पूर्ति सही पाई गई किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई। अतः प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस को खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Lahsun ka Achar Prepared in Mustard Oil" Code No and Sr.No.. K-1259 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar Sub-standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Additive) Regulations, 2011. The sample is also Misbranded food under section 3(1)(zf)©(i) of Food Safety and standards Act-2006 की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री संजय गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 2 ई 12 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री संजय गोयल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में "Lahsun ka Achar Prepared in Mustard Oil" बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. हरीतिगा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कारागार प्रशासक (प्रशा0)
श्रीगंगानगर